न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 129/2015
मुनिराम बनाम रामप्रसाद

<u>22.09.2017</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 25क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 25क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार की मृत्यु दिनांक 18.03.2016 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिस उनके पुत्रगण रामकिशुन व कृष्णा चौधरी तथा पत्नी संवारी देवी है। अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। अतः मृतक के वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 25क2 प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार की मृत्यु दिनांक 18.03.2016 को होने के फलस्वरूप वादपत्र में संशोधन किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। मृतक के विधिक वारिसानों पर तामीला जरिए प्रकाशन पर्याप्त है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 25क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 25क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 28.11.2017 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती